राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या : 1325/2022

नवरंग राय

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क—4) विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.09.2022

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह नैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.12.1998 एवं 29.11.2012 से व्यथित हेकर प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में वर्ष 1969 में नियुक्त किया गया था एवं अपीलार्थी दिनांक 31.12.1997 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी के सेवाकाल के दौरान अपीलार्थी को सलेक्शन स्केल में चयनित वेतनमान वर्ष 1986—87 से दिये गये थे। इसके पश्चात् अपीलार्थी सुपरटाईम स्केल की श्रृंखला प्राप्त करने के लिये योग्य हो गया था। सुपरटाईम स्केल की श्रृंखला के लिये डीपीसी में योग्य अधिकारियों के सम्बन्ध में वर्ष 1992—93 से वर्ष 1996—97 तक के लिये दिनांक 26.02.1998 को डीपीसी रखी गयी थी, जो अपीलार्थी की सेवानिवृति के बाद रखी गयी, परन्तु अपीलार्थी को सुपरटाईम स्केल का लाभ नहीं दिया गया। सुपरटाईम स्केल नहीं दिये जाने के जो कारण अंकित किये गये, वे गलत अंकित किय गये है। वर्ष 1994—95 से अपीलार्थी को सुपरटाईम स्केल नहीं दिये जाने का कारण परिनिन्दा की पनेल्टी

को बताया गया है और उसके सम्बन्ध में निर्णय सील बन्द लिफाफे में रखा गया। परिनिन्दा की पेनल्टी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है, जो कि डीपीसी से पूर्व ही अपास्त कर दी गयी थी। इसलिए परिनिन्दा की पेनल्टी के आधार पर उसको सुपरटाईम स्केल से वंचित नहीं किया जा सकता। उसका कथन है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो रिव्यू डीपीसी दिनांक 26.12.1998 को आयोजित की गयी, उसमें गलत कारण अंकित करते हुए अपीलार्थी को सुपरटाईम स्केल से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की है कि रिव्यू डीपीसी दिनांक 26.12.1998 के मिनिट्स को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सुपरटाईम स्केल दी जाकर तद्नुसार समस्त लाभ प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम स्केल वेतन श्रृंखला वर्ष 1992–93 से 1996–97 तक की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.02.1998 को आयोजित की गयी तत्समय अपीलार्थी के विरूद्ध निम्नांकित दण्डादेश/विभागीय जांच लम्बित थी :–

1. परिनिन्दा का दण्डादेश दिनांक 23.09.1995
2. सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र दिनांक 27.05.1993
3. सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र दिनांक 14.11.1994

विभागीय पदोन्नति समिति ने अपीलार्थी को वर्ष 1994–95 में पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया तथा वर्ष 1996–97 में उसके विरूद्ध लम्बित विभागीय जांच के कारण समिति की अभिशंषा सील बन्द लिफाफे में रखी गयी।

उनका कथन है कि सुपरटाईम वेतन श्रृंखला का पदसेवा का सर्वोच्च पद होने के कारण इस पर चयन शत–प्रतिशत योग्यता के आधार पर होता है। वर्ष 1994–95 एवं 1996–97 में मेरिटोरियस अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने उक्त पद वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे। वर्ष 1995–96 में सभी रिक्तियां योग्यता के आधार पर भरी गई। कार्मिक (क–3) विभाग के आदेश दिनांक 27.06.1998 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित परिनिन्दा का दण्डादेश दिनांक 23.09.1995 को निरस्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध लम्बित विभागीय जांच के आरोप पत्र दिनांक 14.11.1994 में कार्मिक (क–3) विभाग के आदेश दिनांक 13.11.1998 के द्वारा अपीलार्थी की 20 प्रतिशत पेंशन पांच वर्ष के लिये रोकी गई। फलस्वरूप अपीलार्थी के प्रकरण में पुनः रिव्यू डीपीसी की बैठक दिनांक 26.12.1998 को आयोजित की गई। तत्समय

रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष निम्नांकित तथ्या प्रस्तुत किये गए। इस का उल्लेख रिव्यू डीपीसी की अभिशंषा में भी अंकित है।

1. आदेश दिनांक 27.06.1998 के द्वारा परिनिन्दा का दण्ड अपास्त।
2. वर्ष 1987–88 एवं 1990–91(II) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठि।
3. आरोप पत्र दिनांक 14.11.1994 में कार्मिक (क–3) विभाग के आदेश दिनांक 13.11.1998 के द्वारा अपीलार्थी की 20 प्रतिशत पेंशन पांच वर्ष के लिये रोकी गई।
4. सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र दिनांक 27.05.1993 तत्समय लम्बित थी, जो पश्चातवर्ती ओदश दिनांक 23.03.2000 के द्वारा समाप्त कर दी गई।

विभागीय पदोन्नति समिति ने अपीलार्थी को वर्ष 1994–95 एवं 1996–97 में सुपरटाइम वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया। वर्ष 1997–98 की डीपीसी की बैठक दिनांक 03 व 04 मई 2008 को आयोजित की गई। वर्ष 1997–98 में सभी 10 रिक्तियां नियमानुसार योग्यता के आधार पर भरी गई। पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल था। विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में अपीलार्थी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात् अपीलार्थी का संबंधित वर्षो का सेवा रिकॉर्ड इस स्तर का नहीं था कि योग्यता की रिक्तियों के विरूद्ध विचार किया जा सके। अपीलार्थी दिनांक 31.12.1997 को सेवानिवृत्त हो गए। राज्य सरकार की यह भी आपत्ति रही है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील में वर्ष 1998 में की गयी रिव्यू डीपीसी को चुनौती दी गयी है, जबकि वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अतः अपील परिसीमाकाल के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा जिस प्रकार का अनुतोष चाहा गया है, वह नियमानुसार नहीं है। अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी ने रिजोइन्डर प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान् अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

सर्व प्रथम प्रत्यर्थी विभाग की इस आपत्ति पर विचार किया जाना उचित है कि अपील विलम्ब से पेश होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस

सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 10989/2013 दायर की गयी थी। हालांकि रिव्यू डीपीसी वर्ष 1998 में आयोजित की गयी, जिसके सम्बन्ध में रिट याचिका वर्ष 2013 में माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गयी है, परन्तु इससे पूर्व अपीलार्थी द्वारा नोटिस दिया जाना व नोटिस का जवाब दिनांक 29.11.2012 (अनुलग्नक–2) को दिया जाना अभिलेख से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग के दिनांक 29.11.2012 के जवाब के पश्चात् तुरन्त ही अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इस अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। ऐसे में यह अपील समय बाधित होना नहीं माना जा सकता।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर रिव्यू डीपीसी में पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी थी, जिस कारण प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार जाना उचित नहीं है। हमारे मत में दिनांक 26.12.1998 (अनुलग्नक–2) को, जो रिव्यू डीपीसी की मिटिंग के मिनिट्स है, उसमें अपीलार्थी के सम्बन्ध में निम्न प्रकार टिप्पणी अंकित की गयी है:–

1. The penalty of censure reported to the DPC for the year 1994-95 has been set aside.
2. The APARs of Shri Navrang Rai for the year 1987-88 and 1990-91 (Pt.II) are adverse.
3. Shri Navrang Rai has been punished with stoppage of 20% pension for 5 years.
4. One Departmental Enquiry is still pending against Shri Navrang Rai.

उपर्युक्त रिव्यू डीपीसी में परिनिन्दा के दण्ड के सम्बन्ध में परिनिन्दा के दण्ड को अपास्त किये जाने योग्य माना है, परन्तु इसके अलावा अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 1987–88 एवं 1990–91 की एपीएआर में प्रतिकूल टिप्पणी होना भी माना है। जिन वर्षो की प्रतिकूल टिप्पणियां है, उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचना नहीं दी गयी हो, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर आपत्ति सेवानिवृति के बाद एवं रिव्यू डीपीसी होने के बाद उठायी गयी है, जबकि यदि अपीलार्थी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना नहीं मिली होती तो वह अवश्य ही तत्समय ही इस पर आपत्ति उठाता। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। एपीएआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के अलावा अपीलार्थी के विरूद्ध अन्य दण्ड जो कि 20 प्रतिशत पेंशन 5 वर्ष के लिये रोके जाने के सम्बन्ध में डीपीसी के मिनिट्स

में टिप्पणी की गयी है। अतः उक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए रिव्यू डीपीसी में कमेटी ने अपने विवेक से अपीलार्थी को सुपरटाईम स्केल के लिये योग्य नहीं माना, जिस पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। रिव्यू डीपीसी में जो राय कायम की गयी है, उसे नियम विरूद्ध या दुर्भावनापूर्ण होना नहीं माना जा सकता एवं उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R